कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1081 /हाथरस/13846/UP-103/2015, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 18, 2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषय : हाथरस में मथुरा–सादाबाद मार्ग (एम0डी0आर0–102) किमी0 44.250 की बायीं पटरी पर ग्राम–सादाबाद के खसरा सं0–10/2, 11/2 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0579 है0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : आपके कार्यालय का पत्रांक–1475/14–1, दिनांक 28.10.15

महोदय,

विषयांकित प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें/अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रस्ताव के साथ संलग्न अधिकतर अभिलेखों में क्षेत्रफल को फलूड लगाकर संशोधित किया गया है, किन्तु कटिंग को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।

2– संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम अधिकारी द्वारा सील सहित हस्ताक्षरित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट मूल रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

3– प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट दो बार संलग्न की गई है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सील सहित हस्ताक्षरित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मूल रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

4– प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तावित वनभूमि की गणना में क्षेत्रफल को है0 में अंकित नहीं किया गया है। क्षेत्रफल को है0 में भी अंकित कराने का कष्ट करें।

5– ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–4 पर अंकित सूचना के अनुसार 03 वृक्षों का पातन दर्शाया गया है तथा वानस्पतिक घनत्व 0.2 दर्शाया गया है, किन्तु वन संरक्षक, की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट दि0 25.10.15 में अंकित है कि कोई वृक्ष बाधक नहीं है, जो विरोधाभाषी है। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए एवं ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–4 पर अंकित सूचना को संशोधित करने का कष्ट करें एवं वानस्पतिक घनत्व को संशोधित करने का कष्ट करें।

6– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को पूर्ण टोपोशीट पर प्रदर्शित कर संलग्न नहीं किया गया है। 1:50000 स्केल के फुल रंगीन टोपोशीट पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को रंगीन पेन से प्रदर्शित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

7– क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी की वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता मूल रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

8– मक डिस्पोजल योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मक डिस्पोजल योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

9– वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र मूल रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

10– प्रपत्र के भाग–1 में क्रम संख्या भारत सरकार के गजट के अनुरूप अंकित नहीं है।

11– प्रपत्र के भाग–1 में परियोजना की लागत, वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य स्पष्ट अंकित नहीं है।

12– उपरोक्त सूचनाओं/अभिलेखों को पूर्ण कर प्रस्ताव के समस्त पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या अंकित कर तद्नुसार विषय सूची को संशोधित करने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार चिन्हित सूचनाओं/अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा चिन्हित सूचनाओं/अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को सर्वोच्च प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
18/11/15

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1081 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार चिन्हित सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, अलीगढ़ को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर एस्सार ऑयल लि0 ए–5, सेक्टर–3, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार चिन्हित सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

18/11/15

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।